राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1544/2013/जयपुर.

मैसर्स लार्सन एण्ड ट्यूब्रो लिमिटेड,
डी–236 व 237, प्रथम तल, एस.डी.सी. मोनार्क बिल्डिंग,
आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–प्रथम, जयपुर.
2. उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 18/09/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 93/अ.प्रा.।।/सीएसटी/जयपुर/2012–13 में पारित किये गये आदेश दिनांक 31.05.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 23.02.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2009–2010 का कर निर्धारण आदेश वेट अधिनियम की धारा 23 सपठित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 के तहत दिनांक 23.02.2012 को पारित किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में घोषणा पत्र 'ई–1', 'सी' व 'एफ' के समर्थन से किये गये संव्यवहार के पेटे कुछ घोषणा पत्र कर निर्धारण की दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा तद्नुसार अन्तर कर व ब्याज का आरोपण किया गया, साथ ही देय कर नियत समयावधि में जमा नहीं कराये जाने के कारण वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत ब्याज रूपये 10,238/– भी आरोपित किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से

लगातार.....2

आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए ब्याज के बिन्दु पर अस्वीकार की गयी तथा बकाया घोषणा पत्रों के सम्बन्ध में प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिया गया कि दिनांक 30.06.2013 तक प्रस्तुत घोषणा पत्रों को स्वीकार करते हुए तद्नुसार मांग में कमी की जावे। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा घोषणा पत्रों को प्रस्तुत करने के लिये केवल दिनांक 30.06.2013 तक का ही समय प्रदान किया गया था जो अपर्याप्त था एवं अपीलार्थी को समस्त घोषणा पत्रों को एकत्रित करने में काफी समय की आवश्यकता थी क्योंकि उनके क्रेताओं द्वारा बार–बार स्मरण कराये जाने के बावजूद भी घोषणा पत्र नहीं दिये गये थे क्योंकि क्रेताओं द्वारा भी उनके कर निर्धारण अधिकारियों से समय पर घोषणा पत्र प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने कथन किया कि अभी भी कुछ राशि के घोषणा पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं अतः न्यायहित में उन्हें घोषणा पत्र एकत्र कर, कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने एवं स्वीकार करने का आदेश प्रदान किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड के विभिन्न निर्णयों में भी अपीलीय स्तर तक भी घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं, साथ ही आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा भी समय–समय पर घोषणा पत्र प्रस्तुत करने हेतु समय बढ़ाया जाता रहा है। अतः घोषणा पत्रों को प्रस्तुत करने एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार किये जाने के निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया।

5. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु पर्याप्त समय दिया जाने के उपरान्त भी अपीलार्थी द्वारा बकाया घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु असीमित एवं अनिश्चितकालीन (unlimited & indefinite) समय नहीं दिया जा सकता। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

लगातार.....3

7. प्रकरण में मुख्य विवाद अपीलार्थी द्वारा घोषणा पत्रों को समय पर प्रस्तुत नहीं करने मात्र से है एवं युक्तियुक्त कारणों से घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किये जा सके हैं। इसके पूर्व अपीलीय अधिकारी द्वारा भी समय दिया गया था परन्तु व्यावसायिक कठिनाई से घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं होने का कथन किया गया है, जिसके मद्देनजर एवं माननीय उच्चतम न्यायालय; माननीय उच्च न्यायालय व माननीय कर बोर्ड के विभिन्न न्यायिक निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में इस बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा **दिनांक 31.03.2017 तक** प्रस्तुत किये गये घोषणा पत्रों को स्वीकार कर तद्नुसार मांग में नियमानुसार कमी करें।

8. प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा देय कर विलम्ब से जमा होने के आधार पर वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत ब्याज का आरोपण किया गया है, जो कि सम्भवतया लिपिकीय त्रुटिवश गलत धारा का अंकन है, वेट अधिनियम के अन्तर्गत ब्याज का आरोपण धारा 55 में किया जाता है, किन्तु गुणावगुण के आधार पर आरोपित ब्याज की पुष्टि की जाती है एवं इस बिन्दु पर विद्वान अभिभाषक द्वारा बल भी नहीं दिया गया है। अतः आरोपित ब्याज के बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

9. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण उपरोक्त निर्देशानुसार कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

10. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य